

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक-प्र0अ0लि0-4/

7756-65

/2020-21

दिनांक 26.6.2020

प्रबन्धक,

विन्यास पब्लिक स्कूल,

अमिलिहा, चौबेपुर, कानपुर नगर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

शासनानुसार सं0-89/असराउ-3-2010-2011/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 सखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में गणवलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 22-06-2020 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं विन्यास पब्लिक स्कूल, अमिलिहा, चौबेपुर, कानपुर नगर को 8 से कक्षा 8 तक के लिये हिन्दी/अंग्रेजी औपबन्धिक (अस्थाई) मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त गंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है-

- 1-मान्यता की गंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्याप्त मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाधकता दिवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4-सैत-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी / विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेंत नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसंत्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्धियों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

क्र0सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	14250 वर्ग मीटर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	6003.76 वर्ग मीटर
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	-
4	कक्षाओं की संख्या	10
5	प्रधानाध्यापक -साह कार्यालय- साह गण्डारगार के लिये कक्षा	3
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिबल पम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पढ़न सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

24

11 ... Kink

SHAILA VALI
PRINCIPAL
VINYAAS PUBLIC SCHOOL
AMILIH, CHAUBEPUR
KANPUR



- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या संरचनाओं या प्रोजेक्ट स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लागू के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड़े संख्यांक जू0810 स्कूल-अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम/2020-21/05 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का संलेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतक अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करने की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17- संतान उपादान के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो दिनांकीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

— ६० —
(डा० पवन कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

- पू0सं0/प्र0म्रे0लि0-4/ 7756-65
प्रतिलिपि-निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- शिक्षा निदेशक (वे0) उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
 - 2- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
 - 3- मण्डलीय सहायक-शिक्षा निदेशक (वे0) कानपुर मण्डल कानपुर।
 - 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 5- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 6- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 7- संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
 - 8- कार्यालय प्रति।

/2020-21 तददिनांक।

Pawan Kumar
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।